रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली बुधवार, जुलाई 10, 2013/आषाढ़ 19, 1935

No. 188] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2013/ASADHA 19, 1935

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2013

सं. 324–2/2013–सीए— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (संशोधन) विनियम, 2013
(2013 का 08)

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 कहा जाएगा ।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) (जिसे इसके उपरांत मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के खंड (च) के उपरांत, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः–

''(चक) '' अनुसूचित बैंक'' से अभिप्राय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंकों से है,''

3. मूल विनियमों के विनियम 5 के उप–विनियम (4) के उपरांत निम्नलिखित उप–विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः–

''(4क) प्राधिकरण, समय–समय पर कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा पेशकश की जा रही ब्याज दरों तथा ऊपर संदर्भित उप–विनियम (4) के खाते में जमा धनराशि की समीक्षा करेगा तथा ऐसी समीक्षा के दौरान, यदि प्राधिकरण के संज्ञान में यह आता है कि अन्य अनुसूचित बैंकों द्वारा उच्च ब्याज दरें दी जा रही है तो, प्राधिकरण उक्त खाते में से ऐसी धनराशि एवं जमाओं को आहरित कर, उक्त अनुसूचित बैंक में ऐसी अवधि, जो कि उपयुक्त हो, में जमा करेगाः

बशर्ते कि ऐसी जमा पर अर्जित ब्याज को इस उद्देश्य के लिए अलग से अनुरक्षित किए जा रहे खाते में जमा किया जाएगा।

4. मूल विनियमों के विनियम 6 के उप–विनियम (3) के उपरांत निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:–

'' (3) विनियम 5, के उप–विनियम (4क) के उपबंधों की स्थिति में, विनियम 5 के उप–विनियम (4) में संदर्भित खाते को पदेन सदस्य एवं विनियम 8 के खंड (ङ) में वर्णित सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।''

5. मूल विनियमों के विनियम 8 में,––

(क) खंड (ङ) में ''वित्त एवं लेखा प्रभाग'' शब्दों के स्थान पर ''वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (च) एवं (छ) को लोपित किया जाएगा;

(ग) खंड (ज) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:–
'' प्राधिकरण में प्रधान सलाहकार, उपभोक्ता मामले एवं सेवा गुणवत्ता प्रभाग के प्रभारी होने के फलस्वरूप.....पदेन सदस्य ।

(घ) खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत् :–

''(1) प्राधिकरण में प्रधान सलाहकार, उपभोक्ता मामले एवं सेवा गुणवत्ता प्रभाग के प्रभारी होने के फलस्वरूप.....पदेन संयोजक सदस्य। ''

6. मूल विनियमों के विनियम 9 के उप–विनियम (1) में '' खंड (क), (ङ), (च), (छ) एवं (ज)'' के शब्द कोष्ठक एवं आंकडें शब्दों के स्थान पर, 'खंड (क), (ङ), (ज) एवं (झ)'' शब्द, कोष्ठक एवं आंकडें प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

7. मूल विनियमों के विनियम 15 में 'ऐसे लेखापरीक्षक पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे' शब्दों के स्थान पर '' ऐसे लेखापरीक्षक, अधिकतम दो वर्ष हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

राजीव अग्रवाल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/142/13]

टिप्पणी 1: मूल विनियमों को अधिसूचना संख्या 322/4/2006–क्यूओएस (सीए) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III ,खंड 4 में दिनांक 15 जून, 2007 को प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी 2: मूल विनियमों को अधिसूचना संख्या 322–08/2010–सीए के तहत संशोधित किया गया तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 07 मार्च, 2011 को प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी 3: व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 (2013 का 08) के उद्देश्यों एवं कारणों की व्याख्या दी गई है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि:

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 15 जून, 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) अधिसूचित किए थे। विनियमों के निबंधनों के अनुसार, "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि" नामक एक निधि सृजित की गई है। निधि से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग, एक समिति की सिफारिश के आधार पर दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं को जागरूक करने के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए किया जाता है।

2. दूरसंचार शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग के लिए समिति (सीयूटीसीईएफ) में भादूविप्रा के अधिकारी, भादूविप्रा के पास पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों में से भादूविप्रा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के दो प्रतिनिधि तथा एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एयूएसपीआई) के दो प्रतिनिधि तथा भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ (आईएसपीएआई) से एक इंटरनेट एवं ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता प्रतिनिधि शामिल हैं।

3. वर्तमान में, दूरसंचार शिक्षा और संरक्षण निधि में प्राप्त होने वाली धनराशि को, कॉर्पोरेशन बैंक में अनुरक्षित खाते में जमा किया जा रहा है । इस निधि में से अधिकांश धनराशि को केवल कॉर्पोरेशन बैंक की ही सावधि जमाओं में रखा गया है। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में, यह देखा गया है कि विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न ब्याज दरों की पेशकश की जा रही है तथा यह भी देखने में आया है कि अन्य बैंकों द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक की तुलना में अधिक उच्च ब्याज दरों की पेशकश की जा रही है । अत: अन्य अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा कराने के उद्देश्य से संशोधन किया गया है।

4. भादूविप्रा में प्रभागों का पुनर्गठन होने के फलस्वरूप, दूरसंचार शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग के लिए समिति (सीयूटीसीईएफ) में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में उपयुक्त संशोधन किया गया है। वर्तमान विनियम लेखापरीक्षकों की पुनर्नियुक्ति हेतु कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं करता है। अतः इस संशोधन में प्राधिकरण ने टीसीईपीएफ की लेखापरीक्षा करने वाले लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु अधिकतम तीन वर्ष की अवधि निर्धारित की है ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2013

No. 324-2/2013-CA.—In exercise of the powers conferred under section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007) namely :-

TELECOMMUNICATION CONSUMERS EDUCATION AND PROTECTION FUND (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2013 (8 of 2013)

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (Second Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007) (herein after referred to as principal regulations), after clause (e), the following clause shall be inserted namely:-

"(ea) "Scheduled bank" means a bank included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934,"

3. In regulation 5 of the principal regulations, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted namely:-

"(4A) The Authority may, from time to time, review the rate of interest offered by the Corporation Bank and the amount credited in the accounts referred to in sub-regulation (4) and if upon such review, the Authority finds that a higher rate of interest is being offered by any other scheduled bank, the Authority may withdraw from the Corpus of the said accounts such amount, and deposit, in the said scheduled bank, for such duration, as it may deem fit:

Provided that the income, by way of interest, earned on such deposit shall be deposited in the separate accounts maintained for this purpose."

4. In regulation 6 of the principal regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted namely:-

"(3) Subject to the provision of sub-regulation (4A) of regulation 5, the accounts referred to in sub-regulation (4) of regulation 5 shall be operated jointly by the presiding member and the member referred to in clause (e) of regulation 8."

5. In regulation 8 of the principal regulations,_ _ _ _

(a) in clause (e) for the words "the Finance and Accounts Division", the words "the Finance and Economic Analysis Division" shall be substituted,

(b) the clause (f) and (g) shall be omitted;

(c) for clause (h), the following clause shall be substituted namely:-

"(h) Principal Advisor, being in charge of the Consumer Affairs and Quality of Service Division in the Authority---------- *ex officio* member;

(d) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

"(i) Advisor, Consumer Affairs and Quality of Service Division in the Authority---------- *ex officio* convener member."

6. In regulation 9 of the principal regulation, in sub-regulation (1) for the words, brackets and figures "clause (a), (e), (f), (g) and (h)", the words brackets and figures "clauses (a), (e), (h) and (i)" shall be substituted.

7. In regulation 15 of the principal regulations, for the words "such auditors shall be eligible for re-appointment" the words "such auditors shall be eligible for re-appointment for a further period not exceeding two years" shall be substituted.

RAJEEV AGRAWAL, Secy.
[ADVT III/4/Exty./142/13]

Note 1- The principal regulations were published vide Notification No. 322/4/2006-QoS (CA) dated the 15th June, 2007.

Note 2- The principal regulations were amended vide notification No. 322-8/2010-CA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 7th March, 2011.

Note 3 - The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (Second Amendment) Regulations, 2013 (8 of 2013).

EXPLANATORY MEMORANDUM

Background:

The Telecom Regulatory Authority of India had notified the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007) on 15th June 2007. In terms of the Regulations, a fund called 'Telecommunication Consumers Education and Protection Fund' has been created. The income from the Fund is utilised to undertake programmes to educate consumers of the telecommunication services on the recommendation of a committee.

2. The Committee for Utilisation of Telecommunication Education and Protection Fund (CUTCEF) consists of officers from TRAI, two representatives nominated by the Chairperson of TRAI from amongst voluntary consumers organizations registered with TRAI, two representatives of Cellular Operators Association of India (COAI) and two representatives of the Association of Unified Telecom Service providers of India (AUSPI) and one representative from Internet & Broadband service providers of the Internet Service Providers Associations of India (ISPAI).

3. Presently, the amount being received in the Telecommunication Education and Protection Fund account is maintained in Corporation Bank. Out of this fund a large portion of the amount is kept in Fixed Deposits in Corporation Bank only. However, in the present scenario it is being seen that different banks are offering different rates of interest and there are instances when other banks offered higher rate of interest in comparison to Corporation Bank. Therefore, the amendment will proposes facilitation of fixed deposits in other scheduled banks.

4. Due to restructuring of divisions in TRAI, the members of the CUTCEF representing TRAI have been suitably amended. The current regulation does not stipulate any specific period for re-appointment of the auditor. Therefore the Authority decided to specify the period for re-appointment of the auditor. A maximum period for appointment of the auditor for auditing the TCEPF has been fixed as three years in the amendment.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.